

27.02.2026

लोक अभियोजक उपरिथत। अभियुक्त मोनू न्यायिक अभिरक्षा से जिला कारागृह बारां से जर्जे वी.सी. उपरिथत। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री महेश त्यागी उपरिथत।


साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.25 पंकज शेरशाह के बयान जरिये वी.सी. लेखबद्ध किये गये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्वाइंट जिला एवं सेशन न्यायालय कोटा से उक्त गवाह पंकज शेरशाह के हस्ताक्षरशुदा बयान की प्रति मय गवाह की आई.डी. वी.सी. कॉर्डिनेटर से प्रमाणित होकर जर्जे ई-मेल प्राप्त हुए, शामिल मिसल रहे।

इस स्तर पर अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-348 वी.एन.एस.एस. पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। लोक अभियोजक ने जवाब को अवसर चाहा।

अभियुक्त मोनू की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि जरिये वी.सी. दिनांक 09.03.2026 तक बढ़ाई जाती है।

पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक

09.03.2026 को पेश हो।


सत्यनारायण टेलर
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बारां (राज.)